

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937

No. 466]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SHRAVANA 2, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 जुलाई, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल एवं सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 579(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए), उप-धारा (3), और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात:-

विनियम 4 में से खंड (एच) को हटा दिया गया है।

[सं. फेमा. 347/2015-आरबी]

ए. के. पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.नि.सं.409(अ) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :-

सा.का.नि.सं. 199 (अ) दिनांक 21 मार्च, 2001

सा.का.नि.सं. 473 (अ) दिनांक 8 जुलाई, 2002

सा.का.नि.सं. 773 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2003

सा.का.नि.सं. 900 (अ) दिनांक 22 नवंबर, 2003

सा.का.नि.सं. 279 (अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2004

सा.का.नि.सं. 352 (अ) दिनांक 8 जून, 2004

सा.का.नि.सं. 576 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2008

सा.का.नि.सं. 896 (अ) दिनांक 17 दिसंबर, 2012

सा.का.नि.सं. 342 (अ) दिनांक 29 मई, 2013

सा.का.नि.सं. 362 (अ) दिनांक 27 मई, 2014

सा.का.नि.सं. 434 (अ) दिनांक 8 जुलाई, 2014

सा.का.नि.सं. 930 (अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2014

सा.का.नि.सं. 326 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2015

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, 24th July, 2015

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000 as amended from time to time, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter called “the principal regulations”), the following amendment shall be made, namely:-

In Regulation 4, the clause (h) stands deleted.

[No. FEMA. 347 /2015-RB]

A.K. PANDEY, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.409(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide

G.S.R. No. 199(E) dated March 21, 2001

G.S.R. No. 473(E) dated July 8, 2002

G.S.R. No. 773(E) dated September 29, 2003

G.S.R. No. 900(E) dated November 22, 2003

G.S.R. No. 279(E) dated April 23, 2004

G.S.R. No. 352(E) dated June 8, 2004

G.S.R. No. 576(E) dated August 5, 2008

G.S.R. No. 896(E) dated December 17, 2012

G.S.R. No. 342(E) dated May 29, 2013

G.S.R. No. 362(E) dated May 27, 2014

G.S.R. No. 434(E) dated July 8, 2014

G.S.R. No. 930(E) dated December 31, 2014

G.S.R. No. 326(E) dated April 28, 2015